न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 29 / 2013

RCMS Case No. 2013/00111

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1. रेखा पुत्री चुन्नीलाल		1. ग्राम पंचायत बीजापुर जरिये सरपंच
2. मीना पुत्री चुन्नीलाल		2. मृतक गिरीश कुमार के का0मु0
3. शोभा पुत्री चुन्नीलाल जातिगण महाजन (जैन) निवासी बीजापुर		2.1 नयना पत्नि गिरीश कुमार 2.2 साक्षी पुत्री गिरीश कुमार नाबालिग जरिये माता नयना जातिगण जैन हाल फ्लेट नम्बर 14 पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट, सोमनाथ सोसायटी अहमदाबाद

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22/1/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बीजापुर द्वारा मिसल संख्या 46 / 1997–1998 संकल्प संख्या 9 दिनांक 10.01.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 434 दिनांक 10.01.1999 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बीजापुर तहसील बाली में प्रार्थीगण एव गिरीश कुमार के पिता चुन्नीलाल का पुश्तैनी कब्जासुदा मकान आया हुआ स्थित है, जिसके उत्तर में सुरेश कुमार पुत्र खींवराज का मकान, दक्षिण में भूराराम पुत्र नवाजी का मकान, पूर्व में आम रास्ता व मकान का दरवाजा तथा पश्चिम में शिवलाल पुत्र धुलाजी का मकान स्थित है। इस मकान में चुन्नीलाल के समस्त विधिक वारिशान का बराबर का हक हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलीभगत करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में स्वयं के नाम पट्टा जारी करवाया है। गिरीश कुमार ने ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें स्पष्ट अंकित किया कि मेरा स्वयं का पैतृक मकान बना हुआ है, जिसका पुराना पट्टा हमारे परिवार वालों का सामुहित हमारे दादाजी के नाम से बना हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त मकान का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टासुदा भूमि पर दुबारा पट्टा बनाया है, जो विधि

अति० जिला कलेक्टर, पाली

विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि में विहित प्रक्रिया का पूर्णतः दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.09.1998 को आपत्ति प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 23.09.1998 को आपत्तिया प्रस्तुत नही होने एवं एक माह की अवधि पूर्ण मानते हुए जैर निगरानी आज्ञा जारी की। समस्त प्रक्रिया विधि विरूद्ध रूप से अपनाई गई है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थीगण की पैतृक होने से उक्त पैतृक भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थीगण का बहिस्सा बराबर अधिकार है, इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचातय को किसी अन्य व्यक्ति की पट्टासुदा भूमि पर दुबारा पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं होने के कारण भी जैर निगरानी आज्ञा खारिज योग्य है। सम्पूर्ण मिसल की कार्यवाही में भूमि का पट्टा बनाने के कथन है, जबकि नियम 157 के तहत पुराने गृहों/मकानों के पट्टे जारी करने के प्रावधान है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 अकेले का कब्जा हो या उस पर उसका पुराना मकान हो, इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही मोका निरीक्षण रिपोर्ट यह दर्शाती है। इसके अभाव में ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1354, डब्ल्यु0एल0एन0 2015 (2) पेज 353, डी0एन0जे0 (राज.) 1998 पेज 560, डब्ल्यु0एल0एन0 2013 (3) पेज 203, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1265, डब्ल्यु0एल0एन0 2013 (2) पेज 273, डी0एन0जे0 2012 (राज.) पेज 506 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा है। जिसके कारण नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा मौका पर जाकर मोके का नक्शा तैयार किया गया है तथा इसके पश्चात वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। इस भूमि पर पुश्तैनी रहवास है, इसके सबूत अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किए है। प्रार्थीगण द्वारा इस भूमि का पूर्व में पट्टा जारी होना बताया, जबकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं किया। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा न होकर अप्रार्थी संख्या 2 का तथा उनके पश्चात उनके वारिशान का कब्जा है, जिसके कारण ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। प्रार्थीगण ने मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बीजापुर द्वारा मिसल संख्या

अति० जिला कलेक्टर, पाली

46/1997–1998 संकल्प संख्या 9 दिनांक 10.01.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 434 दिनांक 10.01.1999 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत के समक्ष गिरीशकुमार चुन्नीलाल जैन निवासी बीजापुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवासीय मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में यह अंकित किया कि "मैं गिरीश कुमार पुत्र चुन्नीलाल जी जैन, जो घांचीयों की वास में रहता हूँ, जहॉ मेरा स्वयं का पैत्रिक मकान बना हुआ है, जिसका पुराना पट्टा हमारे परिवारवालों का सामूहित हमारे दादाजी के नाम से बना हुआ था, जो मिल नही रहा है। हमारे सभी भाईयों का बंटवाडा हो चुका है तथा जो मकान मेरे हिस्से में आया है, उसका अलग से पट्टा मेरे नाम से बनवाने की कृपा करावें।" इस प्रार्थना पत्र पर निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर मिसल कायम की गई तथा प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 08.05.1998 के जरिये नक्शा बनाने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 08.06.1998 को नक्शा कोरम के समक्ष प्रस्तुत होने पर पंचों को मोका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। आदेशिका दिनांक 03.09.1998 के अनुसार पंचों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण अस्थाई विक्रय का निर्णय लिया जाकर आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश पारित किऐ। इस आदेश की पालना में दिनांक 19.09.1998 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। इसके चार दिवस पश्चात आदेशिका दिनांक 23.09.1998 को एक माह की अवधि पूर्ण मानी जाकर शहादत प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 09.12.1998 को गवाह अमरसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत तथा रमेश शाह पुत्र खीमराज शाह के बयान कलमबद्ध किए जाकर पत्रावली निर्णय हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए। इसके पश्चात दिनांक 10.01.1999 को नियम 157 के तहत 200 रूपये जमा कराने हेतु विक्रय विलेख जारी करने के आदेश पारित किए।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने

अति० जिला कलेक्टर, पाली

के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोदन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 148 में विहित प्रक्रिया की पालना का पूर्ण रूपेण अभाव पाया गया है, इसके अतिरिक्त स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें अंकित किया कि उक्त मकान का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका है, जो मिल नहीं रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का तथाकथित रूप से पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, जिसका दुबारा पट्टा बनाए जाने पर हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, बीजापुर द्वारा मिसल संख्या 46/1997–1998 संकल्प संख्या 9 दिनांक 10.01.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 434 दिनांक 10.01.1999 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत बीजापुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करें एवं तथाकथित रूप से पूर्व में जारी पट्टे के सन्दर्भ में जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/1/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली